न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 197/2021
GCMS NO. : 2021/367

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. भरतनारायण पुत्र मदनलाल 2. कुम्भाराम पुत्र मदनलाल 3. केसरीमल पुत्र मोहनलाल 4. प्रेमचन्द पुत्र मोहनलाल सभी जातियान नाई (सेन) निवासीगण लितरिया तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान।		1. हगराम पुत्र भैराराम 2. ओमप्रकाश पुत्र भैराराम 3. रकाराम पुत्र भैराराम 4. सुरेश पुत्र भैराराम 5. कमली पत्नी भैराराम सभी जातियान भांबी (मेघवाल) निवासीगण लितरिया तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 **तारीख रजू:. 17/11/2021**

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, श्री पुष्पेन्द्र सैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री शाकीर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/09/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 राजस्थान भूं–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के दादा व पूर्वज गोकलराम पुत्र किस्तुजी नाई एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज मंगलाराम पुत्र रावतजी भांबी (मेघवाल) के सामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा संख्या 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308 कुल खसरा 09 कुल रकबा 141–17 बीघा व इसके अलावा खसरा संख्या 300 गैर मुमकिन बैरा एवं खसरा संख्या 305 गैर मुमकिन टेड सहित कुल खसरा 11 कुल रकबा 142–15 बीघा की भूमि आई हुई है। व खसरा संख्या 295 रकबा 02–13 बीघा की भूमि आई हूई है। उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थीगण के दादा व पूर्वज गोकल पुत्र किस्तुजी का 1/2 वां हिस्सा व शेष 1/2 वां हिस्सा मंगला वल्द रावत भांबी का रहा है। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 इस कार्यवाही के साथ पेश है। प्रार्थीगण के दादा गोकल पुत्र किस्तजी का देहान्त होने पर जरिए फौतेदगी म्यूटेशन के वाद के पद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण 12 खसरा नम्बरान की भूमि मोहनलाल, मदनलाल पिसरान गोकलराम जी नाई का 1/2 वां हिस्सा दर्ज हुआ था। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबंदी संवत 2022 से 2025 इस कार्यवाही के साथ पेश है। इसी प्रकार सहहिस्सेदार मंगला पुत्र रावत भांबी के फौत होने पर जरिए फौतेदगी म्यूटेशन के मंगला के वारिसान भैराराम पुत्र मंगला भांबी के नाम शेष 1/2 वां हिस्सा दर्ज हुआ था। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 इस कार्यवाही के साथ पेश है। तत्पश्चात इसी माफिक चौसाला जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 में अंकन यथावत रहा था। तत्पश्चात प्रार्थीगण पिता व पूर्वज मोहनलाल, मदनलाल, पिसरान

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

गोकलरामजी नाई एवं अप्रार्थीगण के पिता व पूर्वज भेराराम पुत्र मंगलाराम भांबी ने उक्त सम्पूर्ण 12 खसरा नम्बरान की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया था। जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पिता व पूर्वज मोहनलाल, मदनलाल, पिसरान गोकलराम नाई के हिस्से में खसरा संख्या 295 रकबा 02-13 बीघा, खसरा संख्या 298 रकबा 07-14 बीघा, खसरा संख्या 303 रकबा 14-04 बीघा, खसरा संख्या 309 रकबा 09-11 बीघा, खसरा संख्या 306 रकबा 11-05 बीघा, खसरा संख्या 308/1 रकबा 25-05 बीघा कुल खसरा 06 कुल रकबा 70-12 बीघा की भूमि रखी थी। इसी प्रकार सहहिस्सेदार भैराराम पुत्र मंगलाराम भांबी के हक हिस्से में खसरा नम्बरान 304 रकबा 15-10 बीघा, खसरा संख्या 302 रकबा 11-12 बीघा, खसरा संख्या 299 रकबा 10-00 बीघा, खसरा संख्या 307 रकबा 11-07 बीघा, खसरा संख्या 308 रकबा 25-05 बीघा कुल खसरा संख्या 05 कुल रकबा 73-18 बीघा भूमि रखी थी। एवं खसरा संख्या 300 व 305 की भूमि दोनो के बीच संयुक्त व शामलाती रखी गई थी। इस प्रकार आपसी बंटवाड़ा करते हुए 06/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर आपसी लिखित फैसला बंटवाड़ा दिनांक 20.03.1975 को तैयार करते हुए तहसीलदार जैतारण के समक्ष पेश कर पंजीबद्ध करवाया था। जिसकी प्रमाणित प्रति इस कार्यवाही के साथ पेश हैं इस प्रकार से किए गए इस आपसी लिखित बंटवाड़ा के अनुसार नामान्तरण संख्या 56 ग्राम लितरिया की कार्यवाही की जाकर भूमि राजस्व रेकर्ड में माफिक बंटवाड़ा के अनुसार अलग अलग दर्ज की गई थी। जो आज दिन उसी माफिक दर्ज चली आ रही है। एवं मौके पर इसी अनुरूप पक्षकारो ने अलग अलग कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीगण के हक हिस्से में खसरा संख्या 308/1 रकबा 25-05 बीघा भूमि रखी गई थी इसी प्रकार अप्रार्थीगण के हक हिस्से में खसरा संख्या 308/2 रकबा 25-05 बीघा भूमि रखी गई थी। एवं शेष खसरा नम्बरान की भूमि ही अलग अलग हिस्से में रखी गई थी। जिसका अंकन नामान्तरण संख्या 56 व चौसाला जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 में किया गया है। अप्रार्थी हगराम पुत्र भैराराम ने नरेगा योजना वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी अनुसार अपनी निजी खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 308/2 की भूमि पर मेड़बंदी एवं टाका निर्माण का कार्य करवाया था। जो मौके पर अप्रार्थी हगराम वगैराह द्वारा करवाये गये मेड़बंदी व टांका निर्माण मौके पर कायम है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 308/1 मौके पर खसरा संख्या 307 के पूर्वी-उत्तरी तरफ चिपते हुए मौके पर आई हुई है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 308/2 की भूमि खसरा संख्या 297 के पश्चिमी-दक्षिणी तरफ चिपते हुए मौके पर आई हुई है। व इसी माफिक अप्रार्थीगण ने मेड़बंदी व टांका निर्माण भी इसी भूमि पर किया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी डी. आर.आई.एल.एम.पी. योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक खसरा संख्या की भूमि को खसरा वाईज राजस्व नक्शे में तरमीम कर उसे ऑनलाईन दर्ज किए जाने के आदेशो की पालना में हल्का पटवारी काणेचा एवं राजस्व विभाग ने इस वादग्रस्त खसरा संख्या की मौका स्थिति एवं कब्जे काश्त की जांच किए बिना ही एवं मौके पर जाकर बिना नाप चौप किए एवं कब्जे की जानकारी लिए बिना ही मौका स्थिति से भिन्न अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण के खसरा संख्या 308/1 व 308/2 की राजस्व नक्शे में स्थिति को मौका स्थिति कि विपरीत रद्धो बदल करते हुए 308/1 को खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

297 के चिपते हुए दर्शा दिया है। इसी प्रकार खसरा संख्या 308/2 को खसरा नम्बर 307 के चिपते हुए दर्शा दिया जो कतई गलत है। बल्कि वास्तविक मौका स्थिति अनुसार जहां खसरा संख्या 308/1 राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है वहां पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 308/2 है। इसी प्रकार राजस्व नक्शे में जहां 308/2 को दर्शाया है वहां खसरा संख्या 308/1 की भूमि है। इस प्रकार से उक्त दोनो ही खसरा नम्बरान की भूमि को मोका स्थिति के विपरीत गलत रूप से तरमीम दर्शाया गया है जो गलत है। अप्रार्थी एवं राजस्व कार्मिको ने मनमर्जी से बिना मौका स्थिति का सत्यापन किए तरमीम की कार्यवाही को निष्पादित किया जो गलत है। अतः प्रार्थीगण की ओर से इस कार्यवाही के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार दुरूस्त कर सही तरमीम किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण की खसरा संख्या 308/1 की भूमि की माट का निर्धारण कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी व नेखमबंदी का आदेश करवावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 308/1 रकबा 4.0873 हैक्टर व खसरा संख्या 308/2 रकबा 4.0873 हैक्टर वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति ही महत्वपूर्ण एवं सुसंगत है। खसरा संख्या 308/1 व खसरा संख्या 308/2 की आराजी पर क्रमशः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पूर्वजो के समय से लेकर आज तक मौके पर इसी अनुरूप काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 308/1 के लगते ही खसरा संख्या 297 है जो प्रार्थीगण का है। तथा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 308/2 के लगत ही खसरा संख्या 307 की भूमि भी है। जिनका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में चलता आ रहा है। प्रार्थीगण ने केवल अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिल खारिज है।

प्रकरण में तहसीलदार जैतारण से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया । पटवारी काणेचा एवं भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 307 के पास खसरा संख्या 308/2 स्थित है एवं खसरा संख्या 297 के पास खसरा संख्या 308/1 स्थित है। मौके पर खसरा संख्या 308/2 एवं खसरा संख्या 308/1 के दो भाग किए हुए हैं, जिनमें एक भाग पर वादीगण एवं एक भाग प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा तहसील जैतारण में खसरा संख्या 308/1 व 308/2 आई हुई है। राज्य सरकार द्वारा जारी डी.आर.आई.एल.एम.पी. योजना के अन्तर्गत हल्का पटवारी काणेचा एवं राजस्व विभाग ने इस वादग्रस्त खसरा संख्या की मौका स्थिति एवं कब्जे काश्त की जांच किए बिना ही एवं मौके पर जाकर बिना नाप चौप किए एवं कब्जे की जानकारी लिए बिना ही मौका स्थिति से भिन्न अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण के खसरा संख्या 308/1 व 308/2 की राजस्व नक्शे में स्थिति को मौका

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्थिति कि विपरीत रद्धो बदल करते हुए 308/1 को खसरा संख्या 297 के चिपते हुए दर्शा दिया है। इसी प्रकार खसरा संख्या 308/2 को खसरा नम्बर 307 के चिपते हुए दर्शा दिया जो कतई गलत है। बल्कि वास्तविक मौका स्थिति अनुसार जहां खसरा संख्या 308/1 राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है वहां पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 308/2 है। इसी प्रकार राजस्व नक्शे में जहां 308/2 को दर्शाया है वहां खसरा संख्या 308/1 की भूमि है। इस प्रकार से उक्त दोनो ही खसरा नम्बरान की भूमि को मोका स्थिति के विपरीत गलत रूप से तरमीम दर्शाया गया है जो गलत है। अतः प्रार्थीगण की ओर से इस कार्यवाही के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार दुरूस्त कर सही तरमीम किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण की खसरा संख्या 308/1 की भूमि की माठ का निर्धारण कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी व नेखमबंदी का आदेश करवावे।

2. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 308/1 रकबा 4.0873 हैक्टर व खसरा संख्या 308/2 रकबा 4.0873 हैक्टर वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति ही महत्वपूर्ण एवं सुसंगत है। खसरा संख्या 308/1 व खसरा संख्या 308/2 की आराजी पर क्रमशः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पूर्वजो के समय से लेकर आज तक मौके पर इसी अनुरूप काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 308/1 के लगते ही खसरा संख्या 297 है जो प्रार्थीगण का है। तथा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 308/2 के लगत ही खसरा संख्या 307 की भूमि भी है। जिनका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में चलता आ रहा है। प्रार्थीगण ने केवल अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिल खारिज है।

3. प्रकरण में तहसीलदार जैतारण से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया । पटवारी काणेचा एवं भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 307 के पास खसरा संख्या 308/2 स्थित है एवं खसरा संख्या 297 के पास खसरा संख्या 308/1 स्थित है। मौके पर खसरा संख्या 308/2 एवं खसरा संख्या 308/1 के दो भाग किए हुए हैं, जिनमें एक भाग पर वादीगण एवं एक भाग प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है।

4. वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं खसरा नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 308/1 रकबा 4.0873 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के नाम बैंक रहन का भी अंकन हैं खसरा संख्या 308/1 के पूर्वी दिशा में खसरा संख्या 297 की आराजी है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जबकि खसरा संख्या 308/1 के पश्चिम में खसरा संख्या 308/2 रकबा 4.0873 हैक्टर की आराजी है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। तथा खसरा संख्या 308/2 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 307 की भूमि है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के अनुसार खसरा संख्या 308 रकबा 50-10 बीघा गोकल वल्द किस्तुर नाई हिस्सा 1/2 व मगला वल्द रावत कौम भांबी हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रही है। ग्राम लितरिया की नामान्तरण पंजिका के नामानतरण संख्या 56 दिनांक 21.03.1975 के अनुसार जरिए आपसी तकासमा मूल खसरा संख्या 308 के दोनो हिस्सेदारान् के मध्य विभाजन से खसरा संख्या 308/1

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

रकबा 25-05 बीघा मोहनलाल मदनलाल पिसरान गोकलराम कौम नाई के नाम दर्ज की गई। तथा खसरा संख्या 308/2 रकबा 25-05 बीघा भैरा पुत्र मगला के नाम दर्ज की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि उभयपक्ष की सहमति से दिनांक 21.03.1975 को वादग्रस्त आराजी का मौके अनुरूप सहमति से बंटवाड़ा होकर खसरा संख्या 308/1 की आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज एवं खसरा संख्या 308/2 की आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज हुई। जो वर्तमान में क्रमशः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उभयपक्ष के मध्य निष्पादित लिखित आपसी फैसला बंटवाड़ा दिनांक 20.03.1975 जो तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रस्तुत होकर तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकार किया गया, के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष द्वारा मौके पर आपसी में बंट हुई आराजी एवं कब्जे काश्त के आधार पर मूल खसरा संख्या 308 कुल रकबा 50-10 बीघा का विभाजन किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि खसरा संख्या 308 से नवीन दो खसरे क्रमशः 308/1 व 308/2 निर्मित हुए। भू नक्शा में तरमीम से उतने ही खसरे अंकित किए जा सकते है जितने जमाबंदी में दर्ज है। अर्थात जमाबंदी एवं नक्शा परस्पर एक दूसरे की प्रतिलिपि होते है। भू अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 308/1 से लगता हुआ खसरा संख्या 297 की आराजी है जो प्रार्थीगण की है इसी प्रकार खसरा संख्या 308/2 से लगते हुए खसरा संख्या 307 की आराजी है जो अप्रार्थीगण की है। उभयपक्ष द्वारा मुताबिक कब्जे काश्त मौके अनुरूप दिनांक 20.03.1975 को परस्पर सहमति से बंटवाड़ा किया था। अतः यह पूर्ण संभावना है कि खसरा संख्या 307 से लगता हुआ खसरा संख्या 308 का भाग खसरा संख्या 307 के खातेदारान् अर्थात अप्रार्थीगण के हिस्से में तथा खसरा संख्या 297 से लगता हुआ खसरा संख्या 308 का भाग खसरा संख्या 297 के खातेदारान् अर्थात प्रार्थीगण के हिस्से में रहा। खसरा संख्या 308/1 व 308/2 की भू नक्शा में इसी अनुरूप तरमीम है। भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल एवं पटवारी काणेचा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 308/1 व 308/2 की आराजी का उभयपक्ष द्वारा मौके पर चार भाग किया हुआ है जो कि विधिसंगत नही कहा जा सकता है क्योकि जमाबंदी के अनुसार भू अभिलेख में केवल दो ही खसरा क्रमशः 308/1 व 308/2 जिन्हे मौके पर भी इसी अनुरूप दो ही भाग होना चाहिए।

5. प्रार्थीगण द्वारा यह कथन कि वर्ष 2008-2009 में अप्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत खसरा संख्या 308/2 की भूमि पर मेड़बंदी व टांका निर्माण करवाया था, के संबंध में अव्वल तो किसी योजना अन्तर्गत किसी भौतिक कार्य के किसी स्थान विशेष पर होने या करवाये जाने से यह नही माना जा सकता कि भू नक्शा में तरमीम भी उसी अनुरूप की जावे, दोयम इससे भू अभिलेख में कोई त्रुटि उत्पन्न नही होती है। पत्रावली पर उपलब्ध राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारण्टी योजना के स्वीकृति आदेश दिनांक 05.07.2008 पर यह स्पष्ट अंकित है कि स्वीकृत स्थान का प्रमाणीकरण संबंधित पटवारी से करवाया जायेगा। अतः यदि उक्त टांका या अन्य भौतिक संरचना प्रार्थी के कथन अनुसार यदि किसी सही या गलत स्थान पर निर्मित हुई है तो इससे वादग्रस्त आराजी की तरमीम का निर्धारण नही किया जा सकता। न ही इससे की गई तरमीम में कोई त्रुटि उत्पन्न हो सकती है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 308/1 की आराजी पर बैंक से रहन लिया गया है इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को यह भली भांति संज्ञान में था कि उनकी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 308/1 की मौके पर क्या स्थिति है ?

7. अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 308/1 व 308/2 की भू नक्शा में तरमीम के संबंध में कोई त्रुटि साबित नही होती है न ही प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहे है। चूंकि भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की रिपोर्ट अनुसार उभयपक्ष द्वारा खसरा संख्या 308/1 व 308/2 का प्रत्येक का मौके पर दो दो भाग किए हुए है जिसके लिए संबंधित पक्षकारान् पृथक से समुचित कानूनी कार्यवाही संबंधित सक्षम स्तर पर करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसी स्थिति में धारा 128 के अन्तर्गत किसी प्रकार का आदेश हस्तगत प्रकरण में किया जाना समुचित एवं विधिसंगत नही होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नही होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 29/09/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)